

FORM-I
 (For Linear Projects)
Government Of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

Dated- 25.02.19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.008 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Dewal Kheta MR Km-10(Syualkot) to Mopata Link Motor Road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of village Mopata (Five Settlements- Mopata, Rol, Tanwa, Bhora, Ezer) in Tharali Tehsil.**

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.008Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

Name: Swati S Bhadoriya (IAS)

निजा अधिकारी
वसोली

प्रभागीय अधिकारी
द्वानाथ दन प्रभाग गोपेश्वर
(धमोली)


Office of the District Collector,


District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Swati S Badhoriya (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on dated 25.02.19 At Chamoli in which the application claiming rights in Mopata (Five Settlements- Mopata, Rol, Tanwa, Bhora, Ezer) village in Tharali Tehsil , area measuring 3.008 Hectares for the Construction of Dewal Kheta MR Km-10(Suyalkot) to Mopata Link Motor Road under PMGSY in Chamoli of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Tharali Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


District Social Welfare Officer
Chamoli


निर्वाचित अधिकारी
District Magistrate - cum -
Chairman, District Level
Committee, Chamoli


प्रभागीय कर्माचारी
वर्तमान वर्त प्रभाग गोपेश्वर
(क्षमता)

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फे०ज- XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-१० से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- थराली.

उपखण्ड देवाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-१०(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कुल ०.७४१ है० सिविल भूमि ०.६७५ है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा ०.३३६६ है० डम्पिंग जोन हेतु), कुल १.०३८९ है० वन पंचायत भूमि ०.३४७५ है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा ०.२९१४ है० डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल ०.३४५ है० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल ३.००८ है० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- थराली) की दिनांक २०/०२/१९ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

१	श्री परमानन्द राम	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
२	श्री विज्ञोकास्त्रियोगिन्द्र	वनहेत्वाधिकारी प्रबो पिण्डरेण्डेवाल	सदस्य थराली
३	श्री विपिन राठा	संहा० सा० क० मुष्ठिकारी	सदस्य/ सचिव
४	श्री द्वेष्टु खिंह विष्टु	सदस्य क्षेत्रप० डंगलोली	सदस्य विलास दल- थराली/ देवाल
५	श्री मदन खिंह पटाकी	सदस्य क्षेत्र प० बलाण	सदस्य (M. Patali) विवरण क्षेत्र प० बलाण
६	श्री नीरम तुरोहित	रा० त० न० नलधुरा	सदस्य
७	श्री		सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-१०(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना हेतु ३.००८ है० भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः 2

9 अक्टूबर
२०२१ - थराली

(2)

सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी **श्री निलौकु सिंह विघ्न** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 वे प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड रत्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.008हेठो वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिला अधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील थरली
जनपद - चमोली

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिला अधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील थरली
जनपद - चमोली

परियोजना का नाम:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-१०(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक २०/०२/१९ उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

1	श्री परमानन्द राम	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष <i>Parmanand Ram</i>
2	श्री लिलोकास्टि बिहटा	उपप्रभासीय कानाधिकारी- वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य <i>Lilokasta</i>
3	श्री तिपिन राठा	१३१० सं. क्र० अधि०	सदस्य/सचिव <i>Tipin Ratha</i>
4	श्री द्वेरेन्द्र खिंड बिहटा	सदस्य क्र० प० बलाठा	सदस्य <i>Dwernand Khand</i>
5	श्री मदन खिंड परामी	सदस्य क्षेत्रप० बलाठा	<i>Madan Khand</i> <i>Paramai</i>
6	श्री नीरज पुरोहित	रा० उ० निर० नलधुरा	<i>Niraj Purohit</i> रा० उ० निर० नलधुरा
7	श्री		तहसील (चमोली)

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -मोपाटा
तहसील-थराली, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 0.9841 है 0 सिविल भूमि (0.675 है 0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.3366 है 0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.6377 है 0 वन पंचायत भूमि (1.3577 है 0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.2914 है 0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.335 है 0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 3.008 है 0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मोपाटा द्वारा दिनांक 29.11.2009 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ताजपुर, काण्डई व ल्वाणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

40/70-1027

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....मोपाटा
एजेन्सी अधिकारी (चमोली)

मुहर सहित

वन ग्राम पंचायत
एजेन्सी
40/70-1027


Kamlesh
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर सहित


(20)

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक ११/१०/२०१८ को ग्राम सभा मोपाटा की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियों की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियों किसी भी प्रकार की आप्ती नहीं है।


ग्राम पंचायत विकास आयोजन
ग्राम पंचायत.....मी.पा.पा.
वि�0अ0-देवाल (चमोली)



(21)

प्रारूप-30.4

दिनांक 29/10/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत-मोपाटा(इजर तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	कंचतसिंह	कंचतसिंह
2.	रुक्मिदेवी	
3.	वंसन्तीदेवी	
4.	शा-हीदेवी	शा-हीदेवी
5.	शीता	शीता
6.	तवीनसिंह	तवीनसिंह
7.	विक्कमसिंह	विक्कमसिंह
8.	डंगादेवी	डंगादेवी
9.	काभीसिंह	काभीसिंह
10.	तुलसीदेवी	तुलसीदेवी
11.	उदयमराम	उदयमराम
12.	मोदियी	

१०८८६

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....मोपाटा.....
विंशती-देवाल (चमोली)




प्रारूप-30.4

दिनांक 29/10/2018 को ग्राम रामा की सम्पन्न वैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत-मोपाटा(मोपाटा तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देवेंद्रसिंह	
2.	जोविंदी देवी	जोविंदी देवी
3.	अंबीदेवी	अंबी देवी
4.	हीरा सिंह	हीरा सिंह
5.	भरतसिंह	भरतसिंह
6.	दीपाली देवी	दीपाली देवी
7.	राजेन्द्रसिंह	राजेन्द्रसिंह
8.	पुण्डिदेवी	पुण्डिदेवी
9.	रमेशसिंह	Ram
10	झालमीदेवी	झालमीदेवी
11	-रमा	-रमा
12	गीतादेवी	गीतादेवी
13	कुलीदेवी	कुलीदेवी
14	वल्लवादेवी	वल्लवादेवी
15	उनाशा	उनाशा

मान्यता

भारत पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....मोपाटा
धिल्लो-खेलाल (यमाला)



Keshav Singh
ग्राम पंचायत प्रधान

ग्राम पंचायत प्रधान

प्रारूप-30.4

दिनांक १०/१०/२०१४ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपरिथिति
ग्राम पंचायत-मोपाटा(रोल तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपरिथित चरिष्ठ ग्रामवारियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	धर्मसिंह	धर्मसिंह
2.	राजेन्द्रसिंह	राजेन्द्र सिंह
3.	पद्मादेवी	पद्मादेवी
4.	मुनीदेवी	मुनीदेवी
5.	कंचनसिंह	कंचनसिंह
6.	बालभसिंह	बालभसिंह
7.	रमेशसिंह	रमेश
8.	प्रतापसिंह	प्रतापसिंह
9.	आंशीदेवी	आंशीदेवी
10.	प्रदीपसिंह	प्रदीप
11.	कमलादेवी	कमलादेवी
12.	गंगासिंह	गंगासिंह
13.	तारायणसिंह	तारायणसिंह
14.	विमलादेवी	विमलादेवी
15.	बृन्दाहसिंह	बृन्दाहसिंह

(अंकित)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
दिनांक-केवाल (चमाली)

ग्राम पंचायत
KALYAN
ग्राम पंचायत
केवाल (चमाली)

ग्राम पंचायत
केवाल (चमाली)

प्रारूप-30.4

दिनांक 29/10/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत-मोपाटा(भोरा तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	सुइकरिसंह	एकरिसंह
2.	तरलीदेवी	तरलीदेवी
3.	विक्कमसिंह	विक्कमसिंह
4.	कुणीदेवी	कुणीदेवी
5.	जघमदेवी	
6.	नारायणसिंह	नारायणसिंह
7.	तन्दीदेवी	तन्दीदेवी
8.	मेदवानसिंह	मेदवानसिंह
9.	दृष्टिसंह	दृष्टिसंह
10	दीपादेवी	दीपादेवी
11	कलवाहीदेवी	कलवाहीदेवी

प्राम पंचायत विकास अधिकर्ता
ग्राम पंचायत....स्तोमा.....
विठ्ठाल-देवाल (चमोली)



प्रारूप-30.4

दिनांक 10/10/2018....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत-मोपाटा(टनवा तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	तारीखिंदे	तारीखिंदे
2.	कुमलादेवी	कुमलादेवी
3.	तन्दनसिंह	तन्दनसिंह
4.	प्रदीपसिंह	प्रदीपसिंह
5.	मुन्नीदेवी	मुन्नीदेवी
6.	रघुलापराम	रघुलापराम
7.	हिमत सिंह	हिमत सिंह
8.	तुलसीदेवी	तुलसीदेवी
9.	प्रभादेवी	प्रभादेवी
10	राजेश्वरसिंह	राजेश्वरसिंह

१०८७

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....मा.पा.सु.....
किलो-टेकड़ (बमाली)



परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -कोटेडा
तहसील-थराली, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 1.014है0 सिविल भूमि(0.649है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.365है0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.608है0 वन पंचायत भूमि(1.348है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.240है0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.386है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 3.008है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटेडा द्वारा दिनांक 12/01/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटेडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोटेडा
10-देवाल (चमोली)

ब्लड व्हाम
ह0/-



आम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

परियोजना का नामः—जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वार्ड० फेज—XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि०मी०—१०(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।


आज दिनांक 12/01/2019 को ग्राम सभा कोटेडा की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि०मी०—१०(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आप्ती नहीं है।



प्रारूप-30.4

दिनांक ...12/01/2019...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत- कोटेडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुष्टिराम	पुष्टिराम
2	गोपाल राम	गोपाल राम
3	दोलतराम	दोलतराम
4.	बुलावराम	बुलावराम
5	दीपेश	दीपेश
6	किशनराम	किशनराम
7	मादोराम	मादोराम
8	शोकनराम	शोकनराम
9	खुश्चिन राम	खुश्चिन राम
10	भवेतराम	भवेतराम
11	किशन राम	किशन राम
12	खड़कराम	खड़कराम
13		
14		



परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVII
के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि०मी०-१०(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक
मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -लिंगड़ी
तहसील-थराली, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि०मी०-१० से
मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 1.014हौ० सिविल भूमि(0.649हौ० मोटर मार्ग
निर्माण हेतु तथा 0.365हौ० डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.608हौ० वन पंचायत भूमि(1.348हौ० मोटर मार्ग
निर्माण हेतु तथा 0.240हौ० डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.386हौ० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल
3.008हौ० वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं
वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लिंगड़ी द्वारा दिनांक 12/01/2019 को सम्पन्न ग्राम
सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी
भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त
परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं
हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया
कि ग्राम लिंगड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हौ०/-

✓
ग्राम सचिव
मुहर सहित


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत... (लिङड़ी)
दिनांक 10-दिसम्बर (चमोली)



आम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि०मी०-१०(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 12/01/2019 को ग्राम सभा-लिंगडी की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि०मी०-१०(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।



प्रारूप-30.4

दिनांक 12/01/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत- लिंगडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दयाल सिंह	दयाल सिंह
2.	सुजान सिंह	सुजान सिंह
3.	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र
4.	केशरी प्रसाद जोशी	Kesharji Joshi
5.	खिलाध सिंह	खिलाध
6.	बेगल दत्त महेशचन्द्र जोशी	बेगल दत्त महेशचन्द्र जोशी
7.	प्रभा वल्लभ	प्रभा वल्लभ
8.	कुल नाथ	कुल नाथ
9.	देवमाला	देवमाला
10.	मनोज सिंह	मनोज सिंह
11.	साहेब	साहेब
12.	मान सिंह	मान सिंह
13.	अशोकराम	अशोकराम
14.	मोहन सिंह	मोहन सिंह

